संख्या-71/2020/1570 ई-2/तेरह-2020-22/2012

प्रेषक,

अनिल कुमार,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

मथुरा।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 29 जुलाई, 2020

विषयः- होटल द मेन्शन कोर्टयार्ड, दिल्ली बाईपास एन.एच.-2, मथुरा को एफ.एल.-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को सम्बोधित अपने पत्र सं.-291/पॉच-बी/आ.लि.-बार अनुज्ञापन/2019-20, दिनांक 14.11.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 14.11.2019 द्वारा उपलब्ध कराई गई जिला बार समिति की बैठक दिनांक 04.11.2019 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-जी-244/दस-लाइसेंस-23/एफ.एल.-6,7/बार अनु./होटल द मेन्शन कोर्टयार्ड/मथुरा, दिनांक 18.02.2020 एवं पत्र संख्या-जी-41/दस-लाइसेंस-23/एफ.एल.-6,7/बार अनु./होटल द मेन्शन कोर्टयार्ड/मथुरा, दिनांक 20.07.2020 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त होटल द मेन्शन कोर्टयार्ड, दिल्ली बाईपास एन.एच.-2, मथुरा को एफ.एल.-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन देने की स्वीकृति एतद्द्वारा इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत रेस्टोरेन्ट में अग्निशमन यंत्र पूर्णतः क्रियाशील अवस्था में रहेंगे तथा अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति में दी गयी शर्तो का इकाई द्वारा पालन किया जायेगा साथ ही प्रश्नगत रेस्टोरेन्ट द्वारा सी.सी. टी.वी. कैमरे एवं हैन्ड-हेल्ड-मेटल डिटेक्टर से सुसज्जित सुरक्षा कर्मियों की समुचित/पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी।

प्रश्नगत होटल को अनुज्ञापन निर्गत किये जाने से पूर्व अभिलेखों की प्रमाणिकता की पुष्टि स्वयं कराते हुए तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)

संयुक्त सचिव।

संख्या-71/2020/1570 ई-2/तेरह-2020 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-जी-41/दस-लाइसेंस-23/एफ.एल.-6,7/बार अनु./होटल द मेन्शन कोर्टयार्ड/मथुरा, दिनांक 20.07.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in